

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक 1636 / 14-1 दिनांक, मुरादाबाद 20 / 12 / 2024

सेवा में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
पी0आई0यू0, नजीबाबाद,
जिला बिजनौर।

विषय :-

जनपद बिजनौर में बिजनौर एवं नजीबाबाद वन प्रभाग के अन्तर्गत Construction of 4-lanning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad-Kotdwar to kotdwar paury road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojna Lot-4 package-2 from Ch.0.000 to 5.900 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभागीय वनाधिकारी नजीबाबाद के अन्तर्गत प्रभावित 4.61 हे० आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1238 वृक्ष एवं सा०वा० प्रभाग, बिजनौर के अन्तर्गत प्रभावित 0.66 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 121 वृक्ष अर्थात् कुल 5.27 हे० संरक्षित एवं आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1359 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं०-FP/UP / Road / 157011/2022)

सन्दर्भ :-
महोदय,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ की पत्र संख्या-1645/11-सी, दिनांक 20.12.2024

उपरोक्त संदर्भित पत्र जो कि इस कार्यालय को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है का अवलोकन करने की कृपा करें। उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि विषयगत प्रकरण में भारत सरकार, नई दिल्ली की गाईड लाइन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 के प्रस्तर-16 एवं पेज संख्या-12 के क्रम में उ०प्र० शासन द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं:-

(16) The proposal involving forest land of more than five hectares, shall be forwarded by the Nodal officer, with the approval of the Principal Chief Conservator of Forests, to the State Government or Union territory Administration, along with the Project, Screening Committee's recommendation and the same shall also be forearded to the regional office.

अतः उक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति मय संलग्नक इस आशय से संलग्न कर प्रेषित है कि आप अपने स्तर से परियोजना जाँच समिति (PSC) में प्रस्ताव अपलोड करें, ताकि उक्त प्रस्ताव का परियोजना जाँच समिति (PSC) से परीक्षण कर अनुमोदनोपरान्त उ०प्र० शासन को प्रेषित करने की आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
संलग्नक-यथोपरि।

पत्रांक- 1636 / 14-1, उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- प्रभागीय निदेशक/वनाधिकारी, नजीबाबाद एवं बिजनौर को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि प्रयोक्ता एजेंसी को अपने स्तर से भी सूचित करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(रमेश चन्द्र)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

(रमेश चन्द्र)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

01

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
संख्या- 1645/11-सी- FP/UP/Road/157011/2022 लखनऊ, दिनांक: दिसम्बर 20, 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
मुसादाबाद वृत्त, मुसादाबाद।

विषय:- जनपद बिजनौर में बिजनौर एवं नजीबाद वन प्रभाग के अन्तर्गत Construction of 4-lanning of Kotdwar bypass of NH-119 connecting Najibabad- Kotdwar to kotdwar pauni road in the state of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojna Lot-4 package-2 from Ch.0-000 to 5.900 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, नजीबाद के अन्तर्गत प्रभावित 4.81 हे० आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1238 वृक्ष एवं बिजनौर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 0.66 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 121 वृक्ष अर्थात् कुल 5.27 हे० संरक्षित एवं आरक्षित वन के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1359 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव सं०- FP/UP/Road/157011/2022

संदर्भ- उ०प्र० शासन की पत्र सं०-2531/81-2-2024-800(260)/2024, दिनांक 19.12.2024
महोदय,

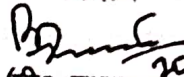
उ०प्र० शासन के उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयगत प्रकरण में भारत सरकार, नई दिल्ली की गाईड लाइन वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 के प्रस्तर-16 एवं पेज संख्या-12 के कम में उ०प्र० शासन द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं:-

(16) The proposal involving forest land of more than five hectares, shall be forwrded by the Nodal officer, with the approval of the Principal Chief Conservator of Forests, to the State Government or Union territory Administration, along with the Project, Screening Committee's recommendation and the same shall also be forwarded to the regional office.

अतः उ०प्र० शासन के संदर्भित पत्र की छायाप्रति सहित इस आशय से प्रेषित किया गया जा रहा है कि प्रयोक्ता एजेंसी परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी०आई०यू०, नजीबाबाद जिला बिजनौर को परियोजना जॉच समिति (PSC) में प्रस्ताव अपलोड करने हेतु अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें, ताकि उक्त प्रस्ताव का परियोजना जॉच समिति (PSC) से परीक्षण कर अनुमोदनोपरान्त उ०प्र० शासन को प्रेषित किया जा सके।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

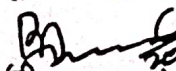

(बी० प्रमाकर) 20.12.2024

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 1645/11-सी FP/UP/Road/157011/2022 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रभागीय वनाधिकारी/निदेशक, बिजनौर एवं नजीबाबाद वन प्रभाग को उपरोक्तानुसार इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि प्रयोक्ता एजेंसी को अपने स्तर से भी सूचित करने का कष्ट करें।
- 2- परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी०आई०यू०, नजीबाबाद जिला बिजनौर।


(बी० प्रमाकर) 20.12.2024

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

प्रेषक,

देवेन्द्र सिंह चौहान

अनु सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/

नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 19 दिसम्बर 2024

विषय- जनपद बिजनौर में बिजनौर एवं नजीबाबाद वन प्रभाग के अन्तर्गत Construction of 4-lanning of Kotdwar by pass of NH-119 connectiong Najibabad-Kotdwar to kotdwar pauri road in the State of Uttar Pradesh under Bharatmala Pariyojna Lot-4 package-2 from Ch.0.000 to 5.900 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभागीय वनाधिकारी नजीबाबाद के अन्तर्गत प्रभावित 4.61 हे० आरक्षित वनभूमि एवं बाधक 1238 वृक्ष एवं बिजनौर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 0.66 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 121 वृक्ष अर्थात् कुल 5.27 हे० संरक्षित एवं आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 1359 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव 'ख्या-एफपी/यूपी/रोड/157011/2022)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-1595/11- '1-एफपी/यूपी/रोड/157011/2022 दिनांक 18.12.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का करें।

2- अवगत कराना है कि आपके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 18.12.2024 में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत परियोजना प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) नियम/2022/वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 लागू होंगे। वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के प्रस्तर-16 में निम्न प्राविधान किया गया है-

(16) The proposal involving forest land of more than five hectares, shall be forwarded by the Nodal Officer, with the approval of the Principal Chief Conservator of Forests, to the State Government or Union territory Administration, along with the Project Screening Committee's recommendation and the same shall also be forwarded to the Regional Office.

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के प्रस्तर-16 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही/अनुपालन कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या संगत अभिलेखों हित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जि से परियोजना प्रस्ताव में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

Signed by

Devendra Singh Chauhan

Date: 19-12-2024 18:07:21

(देवेन्द्र सिंह चौहान)

अनु चिव।